भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3185**

दिनांक 22 मार्च, 2018 को उत्‍तर के लिए

**लैंगिक न्याय हेतु विवाहपूर्व समझौते**

**3185. श्री दिलीप कुमार तिर्कीः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु विवाह के लिए विवाह पूर्व हुए करार को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस उद्देश्यार्थ हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी गई है?

**उत्‍तर**

डॉ. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (ग) : आज तक की स्‍थिति के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ऐसा प्रस्‍ताव नहीं है जिसके तहत विवाह पूर्व करार को कानूनन बाध्‍यकारी बनाया जाएगा। नीति निर्माण तथा हिमायत के अपने प्रयासों के अंग के रूप में मंत्रालय विभिन्‍न हितधाराकों के साथ विवाह पूर्व करार आदि सहित कई तरह के मुद्दों पर चर्चा करता है।

\*\*\*\*\*